बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक– पि०व०/ज०क०ठा०छा०/नि०प्र०सं०–38–02/2020(खण्ड–I)– 103, 3 पृ०

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक– 30/09/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ सामग्री एवं पूर्तियां मद में कुल राशि रू० 38,50,000/– (रू० अड़तीस लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों के संधारणार्थ सामग्री एवं पुर्तियां मद में कुल राशि रू० 38,50,000/– (रू० अड़तीस लाख पचास हजार) मात्र संलग्न सूची के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277–शिक्षा, उप शीर्ष 0002–छात्रावासों का संधारण, विषय शीर्ष, 21.01–सामग्री एवं पूर्तियां विपत्र कोड सं०–11–2225–03–277–0002 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी होंगे। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक–103, दिनांक–21.06.2022 के कंडिका–17 के आलोक में राशि व्यय होने के पश्चात् मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रो के आलोक में किया जायेगा। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक व्यय दिनांक–31.03.2027 तक हो सके एवं व्यय की संभावना नहीं रहने पर शेष राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया जाय।

5. जिस मद में राशि आवंटित की जा रही है, उसी मद में राशि का व्यय किया जाय। किसी भी स्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

6. राशि बैंक में संचित नही किया जायेगा।

7. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
30/09/2026
(ऋषि कुमार)
सरकार के संयुंक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि०व०/02/ब० एवं आ०–17–06/2022– 103 पटना, दिनांक– 30/09/2026

प्रतिलिपि–(1) महालेखाकार, बिहार, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) निदेशक/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

(6) संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/उप सचिव, (बजट प्रभारी)/अवर सचिव (बजट प्रशाखा)/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई०टी०मैनेजर, (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/09/2026
सरकार के संयुंक्त सचिव।

बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

वित्तीय वर्ष 2026–27 में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के संचालन हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत आवंटित राशि की विवरणी :–

क्र०सं०	जिला	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ
1	अररिया	100000.00
2	अरवल	100000.00
3	औरंगाबाद	100000.00
4	कटिहार	100000.00
5	कैमूर	100000.00
6	किशनगंज	100000.00
7	गया	100000.00
8	गोपालगंज	100000.00
9	जमुई	100000.00
10	जहानाबाद	100000.00
11	नालंदा	100000.00
12	पुर्णियाँ	100000.00
13	पूर्वी चंपारण	100000.00
14	पश्चिम चंपारण	100000.00
15	बक्सर	100000.00
16	बेगूसराय	100000.00
17	बाँका	100000.00
18	भागलपुर	100000.00
19	मुंगेर	100000.00
20	मधेपुरा	100000.00
21	मधुबनी	100000.00
22	शेखपुरा	100000.00
23	सुपौल	100000.00

क्र०सं०	जिला	2101 सामग्री एवं पूर्तियाँ
24	सहरसा	100000.00
25	सारण	100000.00
26	सीतामढ़ी	100000.00
27	रोहतास	150000.00
28	मुजफ्फरपुर	100000.00
29	भोजपुर	100000.00
30	पटना	100000.00
31	नवादा	100000.00
32	वैशाली	100000.00
33	समस्तीपुर	100000.00
34	लखीसराय	100000.00
35	दरभंगा	100000.00
36	शिवहर	100000.00
37	सीवान	100000.00
38	खगडियाँ	100000.00
	कुल योग–	**3850000.00**

कुल राशि (रू० अड़तीस लाख पचास हजार) मात्र।

पत्रांक–103 दिनांक–30/09/2026 का अनुलग्नक।

30/09/2026

सरकार के संयुक्त सचिव